



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18132/2026

मधुसूदन

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: राजीव त्रिवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए., कैलाश प्रसाद पांडेय

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. दोबारा बुलाए जाने पर भी शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
2. यह जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 121/2026 पुलिस स्टेशन- कोसीकलां, जिला- मथुरा में बी.एन.एस. की धाराओं 191(2), 191(3), 109(1), 3(5), 125, 351(3), 352 के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह के सह-अभियुक्तों, बृजेश कुमार, प्रेमपाल और ईश्वर को इस न्यायालय के साथ-साथ इस कोर्ट की संबंधित बेंच ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20804/2026, 17962/2026 और 18007/2026 में क्रमशः 17.06.2026, 25.05.2026 और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25.05.2026 को आदेश पारित किए थे। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 07.03.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि इसी तरह के सह-अभियुक्तों, बृजेश कुमार, प्रेमपाल और ईश्वर को इस न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के सह-अभियुक्तों, बृजेश कुमार, प्रेमपाल और ईश्वर को इस न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसी आदेश को रद्द या स्थगन नहीं किया गया है, और आवेदक 07.03.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

8. आवेदक- **मधुसूदन**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/269 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए /बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026